15

1

माननीय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

R 1224 – I – 17

1. जगनी तनय बल्लू यादव

2. पप्पू तनय जगनी यादव

3. खुमान सिंह तनय जगनी यादव

4. जालमसिंह तनय जगनी यादव समस्त निवासी ग्राम लखौरा तह.व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1. श्रीराम तनय नुइयां यादव

2. काशीराम तनय नुइयां यादव

3. करन तनय नुइयां यादव निवासी ग्राम लखौरा तह.व जिला टीकमगढ़ म.प्र.

..प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के प्र0क्र0 100अपील /2015-16 मे पारित आदेश दि. 31/3/2017 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू रा0सं01959

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुतहै

1. यहकि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार टीकमगढ़ के यहाँ धारा250म0प्र0 भू0रा0सं0 के संबंध मे प्रतिपुनरीक्षणकर्ता /आवेदक की हैसियत से आवेदन प्रस्तुत कर कब्जा पुर्नस्थापन का प्रकरण लगाया गया थाजिसमे परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण क्र. 27/अ70/2013-14 मे एकांगी आदेश दिनांक 30/12/2015को पारित किया और इस आदेश के आधार पर दिनांक 22/2/16को तहसीलदार ने कब्जा पुर्नस्थापन करने हेतु एकपत्र पुनरीक्षणकर्ताको दिनांक 22/2/16को तामील कराई तब पुनरीक्षणकर्ता को जानकारी हुई कि तहसीलदार ने उसके विरूद्ध एकांगी आदेश 30/12/2015 को कर दिया आवेदक ने नकल प्राप्त कर उक्त अपील जानकारी दिनांक से अनुविभागीय अधिकारीको प्रस्तुत की इस तरह उक्त अपील को जानकारी दिनांक 22/2/16 के आधार पर06/4/16तक प्रस्तुत होना थी परंतु उक्त अपील दिनांक

(15)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग- 1224-एक/17 जिला-टीकमगढ़

जगनी आदि विरूद्ध श्रीराम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री एम.पी. भटनानगर उपस्थित । आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के क्रमांक 100/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 31-03-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 24-04-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर टीकमगड़ के द्वारा ही पुनरीक्षण	

2.1.19

याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

3.1.19

(आर.के. जैन)

सदस्य